सार-समाचार

भव्य वैदिक शिलान्यास समारोह में, सीएम होंगे मुख्य अतिथि

भरतपुर (निसं)। आदर्श विद्या मंदिर समिति, भरतपुर के तत्वावधान में डॉ. उमिलेश आर्य डिफेंस एकेडमी, महारानी लक्ष्मीबाई सभागार एवं आदर्श विद्या मंदिर, केशव नगर, भरतपुर के भवनों के भव्य निर्माण हेतु वैदिक शिलान्यास समारोह का आयोजन 21 नवंबर 2026, शनिवार को प्रात: 10 बजे किया जाएगा। समारोह का आयोजन उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, केशव नगर परिसर, लोहागढ़ स्टेडियम के पास, सेवर रोड, भरतपुर में होगा। इस गरिमामयी समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में भामाशाह के रूप में न्यूयॉर्क (अमेरिका) निवासी डॉ. यशपाल आर्य एवं डॉ. उमिलेश आर्य की विशेष सहभागिता रहेगी। समारोह के मुख्य वक्ता विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली के संगठन मंत्री गोविंद महंत होंगे। समारोह की अध्यक्षता विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली के उपाध्यक्ष राजेन्द्र खेतान करेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जयपुर प्रांत के प्रांत संघचालक महेन्द्र सिंह मग्गो एवं जयपुर प्रांत के प्रांत प्रचारक बाबूलाल की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। इस अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि-विधान के साथ भवन निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा। यह आयोजन शिक्षा, संस्कार एवं समाज के सहयोग से शैक्षिक संस्थाओं के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। आदर्श विद्या मंदिर समिति, भरतपुर ने सभी गणमान्य नागरिकों, शिक्षाविदों, समाजसेवियों एवं नगरवासियों से समारोह में उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने का आग्रह किया है।

राष्ट्रीय सेवा योजना का एक दिवसीय शिविर का आयोजन हुआ

निवाई। राजकीय कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत प्राचार्य प्रोफेसर विकास नौटियाल की अध्यक्षता में एक दिवसीय शिविर का आयोजन हुआ। शिविर का शुभारंभ प्राचार्य प्रोफेसर विकास नौटियाल ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। प्राचार्य ने कहा कि छात्राओं को राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के अंतर्गत नि:स्वार्थ भाव से अनुशासन के साथ सेवा कार्य करे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्वयंसेविकाओं को साल भर में दी गई कार्य योजना के तहत अनुशासन में रहकर कार्य करना चाहिए। सभी राष्ट्रीय हित में कार्य करते हुए शिक्षा के साथ साथ सेवा भाव से कार्य करें। कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सीएल मीना ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत एक दिवसीय शिविर में महाविद्यालय के सभी स्वयंसेविकाओं ने महाविद्यालय परिसर में साफ-सफाई करके श्रमदान किया। मीणा ने राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्य व लक्ष्य सहित कई राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्रीय भाव व सामाजिक सद्भाव नेतृत्व क्षमता व आत्मविश्वास पैदा करता है। उद्घाटन सत्र के बाद स्वयंसेवकाओं ने महाविद्यालय परिसर में श्रमदान किया। साफ सफाई कार्य करते हुए झाडियों की खुदाई करके कचरे को एकत्रित कर जलाया। छात्राओं के दो दल बनाए गए उसके तहत काम बांटा गया। उसके बाद छात्राओं को नशा मुक्ति व साइबर फ्रॉड की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में महाविद्यालय के सभी संकाय मौजूद रहे, सभी छात्राओं की सहभागिता रही।

एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अभिजीत ने गोल्ड मेडल जीता

निवाई। महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा आयोजित 39वीं अन्तर महाविद्यालय एथलेटिक्स खेल प्रतियोगिता में आरएनटी मेमोरियल महाविद्यालय के छात्र अभिजीत पुत्र सतीश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। अपनी इस ऐतिहासिक जीत के साथ अभिजीत ने विश्वविद्यालय स्तर पर क्षेत्र का परचम लहराया है। प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय से संबद्ध विभिन्न महाविद्यालयों के सैकडों खिलाडियों ने भाग लिया था, सभी चुनौतियों को पार करते हुए अभिजीत ने अपनी कडी मेहनत, अनुशासन व खेल कौशल के दम पर प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। अभिजीत की इस गौरवशाली उपलब्धि पर महाविद्यालय परिसर व खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड गई। महाविद्यालय प्रशासन ने अभिजीत व उनके पिता सतीश को इस सफलता के लिए बधाई दी है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए विश्वास जताया है ।

बीसलपुर बांध की नहरों में सिंचाई के लिए 25 नवम्बर को छोड़ा जाएगा पानी

टोंक। जिला कलेक्टर टीना डाबी की अध्यक्षता में बुधवार को बीसलपुर जल वितरण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान एडीएम विनोद कुमार मीना, बीसलपुर बांध परियोजना के अधीक्षण अभियंता मनीष बंसल, अति. पुलिस अधीक्षक कमल प्रसाद, किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट, किसान महापंचायत के युवा प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर चौधरी समेत बडी संख्या में कृषक मौजूद रहे।



टोंक जिला कलेक्टर टीना डाबी की अध्यक्षता में बीसलपुर जल वितरण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।

बैठक में जिला कलेक्टर ने किसानों की मांग पर बीसलपुर बांध से 25 नवम्बर को सिंचाई के लिये नहरों में पानी छोड़ने के लिए अधीक्षण अभियंता मनीष बंसल को निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बांध के अधीक्षण अभियंता को निर्देशित किया कि मुख्य नहरों एवं वितरिका तंत्र के माध्यम से पानी टेल तक नियत समय पर पहुंचने की सुनिश्चितता की जाए। उन्होंने कहा कि नहरी तंत्र की साफ-सफाई एवं मरम्मत कार्य 25 नवम्बर तक पूर्ण कर लिए जाए। बीसलपुर बांध के अधीक्षण अभियंता मनीष बंसल ने बताया कि इस मानसून वर्ष में बीसलपुर बाँध के जलग्रहण क्षेत्र में कम वर्षा होने के कारण बाँध में जल आवक बहुत कम 9.377 टीएमसी ही रहीं हैं। पिछले वर्ष के शेष रहें जल एवं इस वर्ष के जल आवक को शामिल करते हुए 18 नवम्बर 2026 तक बीसलपुर बांध का सम्भावित गेज 313.38 मीटर एवं भराव 24.245 टीएमसी है। यह पूर्ण भराव क्षमता का लगभग 62.80 प्रतिशत ही है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल के लिए आरक्षित जल की आवश्यकता को शामिल किया।

भगवान पारसनाथ का महामस्तिकाभिषेक

अलवर। स्कीम नंबर 10 स्थित श्री दिगंबर जैन अग्रवाल पंचायती मंदिर में मान स्तंभ के स्थापना दिवस के अवसर पर मान स्तंभ में विराजमान भगवान पारसनाथ की प्रतिमाओं का महामस्तिकाभिषेक कार्यक्रम श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ आयोजित किया गया। मंदिर के मंत्री कैलाश चंद जैन ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 7 बजे मूलनायक भगवान पारसनाथ की प्रतिमा के अभिषेक के साथ हुई। इसके बाद शांतिधारा का आयोजन किया गया। तत्पश्चात मान स्तंभ में विराजमान भगवान पारसनाथ की प्रतिमाओं का महामस्तिकाभिषेक किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भजनों की मधुर स्वर लहरियों के बीच भगवान की प्रतिमाओं का अभिषेक कर धर्मलाभ प्राप्त किया।

कार्यकारिणी का गठन

कोटपूतली । विश्व हिंदू परिषद कोटपूतली नगर ईकाई की बैठक बुधवार को परिषद कार्यालय पर संपन्न हुई। जिलाध्यक्ष डॉ. अष्वनी गोयल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संगठन का विस्तार करते हुए नवीन नगर कार्यकारिणी की घोषणा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से पूर्व पार्षद मनीष यादव को कोटपूतली नगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया। साथ ही संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी नियुक्तियां की गईं। जिनमें नगर उपाध्यक्ष पद पर सुभाष गुप्ता, नगर सह मंत्री गोपाल जांगिड व जिला धर्माचार्य संपर्क प्रमुख रोहिताष सैनी को नियुक्त किया गया।

पंचायत समिति सदस्य पदों की मतगणना 20 को

- **प्रथम चरण में प्रातः 08 बजे से पंचायत समिति सदस्य तथा द्वितीय चरण में दोपहर 01 बजे से जिला परिषद सदस्य पदों की होगी मतगणना**
- **मतगणना के लिए जिले की सभी 08 पंचायत समितियों में कक्ष एवं टेबलवार व्यवस्थाएं निर्धारित**

कोटपूतली । पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए मतगणना 20 नवंबर को राजकीय एलबीएस पीजी महाविद्यालय कोटपूतली के विज्ञान संकाय भवन में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। मतगणना के लिए समय, मतगणना कक्ष, टेबल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित कर दी गई हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 20 नवंबर को प्रथम पारी में प्रात: 08 से दोपहर 12:30 बजे तक पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए संबंधित पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना की जाएगी। इसके पश्चात द्वितीय चरण में दोपहर 01 बजे से जिला परिषद सदस्य पदों के निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना प्रारंभ होगी। मतगणना कार्य के लिए सभी संबंधित पंचायत समिति क्षेत्रों के मतगणना अधिकारियों एवं कार्मिकों को प्रात: 07 बजे से पूर्व निर्धारित मतगणना स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित किया गया है।

पंचायत समिति कोटपूतली में कुल 17 पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों के 90 मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम स्ट्रांग रूम संख्या 98 एवं मतगणना कक्ष संख्या 99 निर्धारित की गई है। यहां 9 टेबल तथा 1 आरओ टेबल की व्यवस्था रहेगी। पंचायत समिति नीमराना में कुल 21 पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों के 136 मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम स्ट्रांग रूम संख्या 102 एवं मतगणना कक्ष संख्या 100 निर्धारित किए गए हैं। यहां 12 टेबल एवं 1 आरओ टेबल की व्यवस्था रहेगी। पंचायत समिति नारायणपुर में कुल 17 पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों के 96 मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम स्ट्रांग रूम संख्या 94 एवं मतगणना कक्ष संख्या 95 निर्धारित किए गए हैं। यहां 9 टेबल एवं 1 आरओ टेबल की व्यवस्था रहेगी। पंचायत समिति पावटा में कुल 19 पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों के 98 मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम स्ट्रांग रूम संख्या 93 एवं मतगणना कक्ष संख्या 92 निर्धारित किए गए हैं। यहां 10 टेबल एवं 1 आरओ टेबल की व्यवस्था रहेगी।

अलवर में तरुण भारत संघ से सीखा जल संरक्षण का तरीका

अलवर। अलवर की धरती पर विकसित जल संरक्षण की पारंपरिक पद्धितयां अब सात समंदर पार भी अपनी पहचान बना रही हैं। तरुण भारत संघ के कार्यों से प्रेरणा लेकर अमेरिका के ऑस्टिन में सूखते झरनों को पुनर्जीवित करने का अभियान चलाया जा रहा है। वहां के एक पर्यावरण संगठन के निदेशक एरिक ने अलवर आकर तरुण भारत संघ के जल संरक्षण और नदी पुनर्जीवन के कार्यों को समझा तथा उनसे प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका लौटकर इन्हीं पद्धितयों को अपने क्षेत्र में अपनाया और स्थानीय लोगों की भागीदारी से जलस्त्रोतों को नया जीवन देने का काम शुरू किया। यह जानकारी जलपुरुष राजेंद्र सिंह ने अलवर में दी। राजेंद्र सिंह ने बताया कि अमेरिका के ऑस्टिन में लोअर कोलोराडो नदी बेसिन के छोटे-छोटे झरने सूखकर समाप्त हो रहे थे। रियल एस्टेट के डंपिंग ग्राउंड और मानवीय गतिविधियों के कारण इन जलस्त्रोतों का अस्तित्व संकट में था। इस पर्यावरणीय समस्या का समाधान खोजने के लिए वहां के एक संगठन में इकोलॉजिकल एक्शन के निदेशक एरिक को तरुण भारत संघ के कार्यों का अध्ययन करने भारत भेजा गया।

मतदाता जागरूकता पर निबंध व क्विज प्रतियोगिता का आयोजन

कोटपूतली । युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ विकसित करने और उन्हें मतदान के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से यहां के राजकीय एलबीएस पीजी महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत निबंध एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

भारतीय निर्वाचन आयोग की पहल पर महाविद्यालय के निर्वाचन साक्षरता क्लब द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में छात्राओं ने बढ-चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का मुख्य विषय 'मतदान एवं शुद्ध मतदाता सूची का महत्त्व' रखा गया था। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी छात्राओं ने अपनी लेखनी और ज्ञान का परिचय देते हुए निर्वाचन प्रक्रिया, लोकतंत्र की मजबूती, मतदान के अधिकार, कर्तव्य तथा भारतीय निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली से जुडे प्रश्नों के सटीक उत्तर दिए। आयोजन का मुख्य लक्ष्य भावी मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति सजग बनाना था। प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली विजेता छात्राओं का चयन आगामी चरण के लिए किया गया है।

आवश्यकता

शिक्षाकर्मी The Sapling Academy requires Teachers for Pre to 8th(All Subjects/ English Medium) Qualifications as State Govt. Norms English Speaking Fluency Come alongwith handwritten application and original documents on 22/11/26 between 10:00 a.m. and 3:00 p.m. Interview Venue-144A- Dwarikapuri, Sumel Road, Purani Chungi, Jaipur 9929101065.

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य घनश्याम जैमन पुत्र श्री चिरंजी लाल शर्मा निवासी ढाणी हाडुडा गण्डराव, सिकराय दौसा एवम् रेणु शर्मा पत्नि श्री घनश्याम जैमन निवासी डी-22, गोवंधनपुरी, गलता गेट, जयपुर ने अपने पुत्र तनिष्क जैमन पुत्र श्री घनश्याम जैमन जो कि मेरे अभिभाष्यगण के कहने मे नही है एवं मेरे अभिभाष्यगण से लडाई-झगडा करता है को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्तियो से बेदखल कर दिया गया है तनिष्क जैमन द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ किये गए किसी भी विक्रीय लेनदेन एवम संव्यवहार एवम् किसी आपराधिक कृत्य से हमारा कोई लेना देना नही है एवं मेरे अभिभाष्यगण का उक्त तनिष्क जैमन के किसी भी प्रकार का कोई लेना-देना नही है एव ना ही भविष्य मे रहेगा।
For Rajendra Singh Rathore & Associates
Rajendra Singh Rathore, Advocate, M.:9462085526

नाम परिवर्तन

मेरे पासपोर्ट नंबर A-2213899 में मेरा नाम RAYAZ KHAN दर्ज है जो की गलत है। मेरा सही नाम REYAJ KHAN S/o मुनीर खान निवासी वार्ड नंबर 21, मदीना कॉलोनी, कस्बा चोमूं, जिला जयपुर, राजस्थान। भविष्य में मुझे RAYAZ KHAN की जगह REYAJ KHAN नाम से जाना व पहचाना जावें।
Affidavit नंबर : CL 252595

मैंने अपना नाम देव से बदलकर देव वीरवानी पुत्र श्री सुशील वीरवानी निवासी 12/553, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान रख लिया है भविष्य में मुझे देव वीरवानी नाम से जाना पहचाना जाए।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 82/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री मनोज कुमार गुप्ता, ने पंजीकृत प्रन्यास एडयूप्रो ट्रस्ट, जयपुर हैं (जिसका पंजीयन कमांक 145/ जयपुर/2025 है) ने परिवर्तन के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रपत्र 8 प्रस्तुत कर प्रन्यास की बैठक दिनांक 25.07.2026 के अनुसार नवीन प्रन्यासियों के नाम दर्ज अभिलेख करने हेतु निवेदन किया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 16.11.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 21.12.27
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 788/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रदीप सिंह राजावत, 215, रेवती चौक, ब्रह्मपुरी, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास जयपुर रोटरी क्लब सोसाइटी, 1. रोटरी मार्ग एम.आई रोड एस.ओ., जयपुर के सम्बन्ध में जाच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 16.11.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 19.01.27
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 795/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि पवन कुमार गुप्ता, नेहरू कॉलोनी, वार्ड नं. 19, लालसौट, दौसा ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास राष्ट्रीय विद्या मंदिर शिक्षण समिति, लालसौट, दौसा के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 17.11.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 25.01.27
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

अलवर में 20 नवंबर को होगी पंचायत चुनाव की मतगणना, सुबह 8 बजे से शुरू होगी प्रक्रिया

- **जिला परिषद और 11 पंचायत समितियों के सदस्यों के वोटों की होगी गिनती, दो चरणों में पूरी होगी मतगणना; अभ्यर्थियों और अभिकर्ताओं के लिए प्रवेश व पार्किंग व्यवस्था निर्धारित**

अलवर। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के तहत अलवर जिले में जिला परिषद एवं 11 पंचायत समितियों के सदस्यों के चुनाव की मतगणना 20 नवंबर को होगी। मतगणना बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय परिसर में निर्धारित कक्षों में दो चरणों में कराई जाएगी। जिला प्रशासन ने मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही अधिकारियों, कर्मचारियों, अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं और मीडियाकर्मियों के प्रवेश एवं वाहनों की पार्किंग के लिए अलग-अलग व्यवस्था निर्धारित की है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि प्रथम चरण में सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना होगी। इसके बाद दूसरे चरण में दोपहर 12:15 बजे से जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना शुरू होगी, जो मतगणना समाप्त होने तक जारी रहेगी। मतगणना कार्य में नियोजित स्टाफ को सुबह 7 बजे तक केंद्र में प्रवेश करना होगा, जबकि अभ्यर्थियों एवं उनके अभिकर्ताओं को सुबह 6:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने पंचायत समितिवार मतगणना कक्ष और टेबल निर्धारित कर दी हैं। रामगढ के लिए कक्ष संख्या 27 में 8 टेबल, कठूमर के लिए कक्ष संख्या 1 में 11 टेबल, खेडली-सौंखर के लिए कक्ष संख्या 18 में 8 टेबल, गोविन्दगढ के लिए कक्ष संख्या 9 में 8 टेबल तथा मुबारिकपुर के लिए कक्ष संख्या 20 में 8 टेबल लगाई जाएंगी।

इसी प्रकार रैणी के लिए कक्ष संख्या 4 में 11 टेबल, उमरैण के लिए कक्ष संख्या 101 में 11 टेबल, मालाखेड़ा के लिए कक्ष संख्या 103 में 11 टेबल, लक्ष्मणगढ के लिए कक्ष संख्या 120 में 9 टेबल, राजगढ के लिए कक्ष संख्या 127 में 11 टेबल तथा थानागाजी के लिए कक्ष संख्या 118 में 11 टेबलों पर मतगणना होगी। डाक मतपत्रों की गणना उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक द्वितीय के निर्देशन में की जाएगी।

मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए अलग-अलग गेट निर्धारित किए गए हैं। गणना सुपरवाइजर, गणना सहायक एवं अन्य राजकीय कार्मिक महाविद्यालय के खेल मैदान के दक्षिणी द्वार गेट नंबर 3 से प्रवेश कर चैनल गेट नंबर 2 (प्रिंसिपल कक्ष) तक पहुंचेंगे। मतगणना कार्य से जुड़े अधिकारी मुख्य प्रवेश द्वार गेट नंबर 2 से होते हुए चैनल गेट नंबर 1 से प्रवेश करेंगे।

अभ्यर्थियों के गणना अभिकर्ताओं को महाविद्यालय परिसर के गेट नंबर 4 (दशहरा मैदान की ओर) से प्रवेश दिया जाएगा। रामगढ, कठूमर, खेडली-सौंखर, गोविन्दगढ, मुबारिकपुर और रैणी पंचायत समितियों के गणना अभिकर्ता कमरा नंबर 21 के पिछले द्वार से प्रवेश करेंगे। वहीं उमरैण, मालाखेड़ा, लक्ष्मणगढ, राजगढ और थानागाजी के अभिकर्ताओं के लिए कुएं के पास स्थित चैनल गेट निर्धारित किया गया है।

मीडियाकर्मियों को महाविद्यालय के गेट नंबर 1 से प्रवेश मिलेगा। उनके लिए कमरा नंबर 31 में मीडिया कक्ष बनाया गया है। प्रथम चरण में पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना होने के कारण शुरुआत में संबंधित पंचायत समिति के अभ्यर्थियों एवं उनके अभिकर्ताओं को ही प्रवेश दिया जाएगा।

प्रशासन ने वाहनों की पार्किंग के लिए भी अलग-अलग स्थान निर्धारित किए हैं। गणना सुपरवाइजर, गणना सहायकों एवं अन्य राजकीय कार्मिकों के वाहन गेट नंबर 3 के सामने खुले मैदान में खड़े होंगे। अधिकारियों के वाहनों की पार्किंग गेट नंबर 2 के सामने तथा मीडियाकर्मियों के वाहनों की पार्किंग गेट नंबर 1 के सामने टेनिस कोर्ट में रहेगी। अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं एवं गणना अभिकर्ताओं के वाहनों की पार्किंग दशहरा मैदान में निर्धारित की गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना परिसर में केवल वैध पास के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। पंचायत समिति सदस्यों के लिए गणना अभिकर्ताओं के बैज संबंधित रिटर्निंग अधिकारी जारी करेंगे, जबकि जिला परिषद सदस्यों के गणना अभिकर्ताओं के पास प्रभारी अधिकारी गेटपास एवं सहायक प्रभारी डीआरए शाखा कलक्ट्रेट की ओर से जारी किए जाएंगे। अधिकारियों और कर्मचारियों को भी पूरे समय अपना पहचान बैज लगाए रखना होगा।

खोया पाया

मेरा श्री रामचन्द्र विहार ग्राम रूपपुरा सांभरिया रोड स्थित भूखंड संख्या-6 एवं दुकान नंबर-30, 31 का पट्टा कीर्ति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जारी कहीं गुम गया। मिलने पर सम्पर्क करें- डालचंद पुत्र छोटूराम मीणा मो.9928855941

आम सूचना सूचित किया जाता है कि एक सम्पति भूमि खसरा नं. 813/241 (पुराना खसरा नं. 709/241), क्षेत्रफल 0.1619 हेक्टेयर, ग्राम नान्द, तहसील बाड़मेर, जिला बाड़मेर, राजस्थान। यह कि उक्त वर्णित सम्पति का पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30/07/2021 श्री जैतराम द्वारा वीर तेजाजी शिक्षण संस्थान, नान्द, बाड़मेर के पक्ष मे, उसके अधिकृत श्री रूपाराम के माध्यम से निष्पादित किया गया। यह विलेख उप पंजीयक कार्यालय, बाड़मेर मे बही संख्या 1, जिल्द संख्या 652, पृष्ठ संख्या 176 पर क्रमांक 2021030781028853 से दिनांक 30/07/2021 को पंजीबद्ध हुआ था। यह कि उक्त विक्रय पत्र दिनांक 30/07/2021 का मूल दस्तावेज दिनांक 27/09/2024 को संस्थान का स्कूल किराये की बिल्डिंग से नवनिर्मित भवन में स्थानान्तरित करते समय कहीं गुम हो गया, जिसकी रिपोर्ट श्री कंवराराम पुत्र श्री नागाराम चौधरी द्वारा राजस्थान पुलिस मे खोई हुई वस्तु रिपोर्ट एल.आर. नं. 2773628/2025 दिनांक 22/05/2025 के रूप में दर्ज करवाई गई है। यह कि वीर तेजाजी शिक्षण संस्थान, नान्द, बाड़मेर द्वारा उक्त सम्पति का पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 02/05/2025 को विरेन्द्रपाल वीर तेजाजी नोबल्स एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय, नान्द, बाड़मेर के पक्ष मे, श्री उम्मदाराम के माध्यम से निष्पादित किया गया। यह कि उक्त सम्पति के वर्तमान स्वामी विरेन्द्रपाल वीर तेजाजी नोबल्स एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय, नान्द, बाड़मेर उक्त सम्पति को ऋणदाती संस्था AUXILO FINSERVE PVT. LTD., JAIPUR मे बन्धक रखकर ऋण प्राप्त कर रहे हैं। उक्त सम्पति के स्वामित्व, उक्त गुम हुए मूल विक्रय पत्र दिनांक 30/07/2021 एवं ऋण बाबत यदि किसी भी व्यक्ति/संस्था/बैंक या अन्य किसी भी पक्ष को किसी प्रकार की आपत्ति या आक्षेप हो, अथवा उक्त गुम हुए मूल विक्रय पत्र किसी को प्राप्त हो या उसके सम्बन्ध मे कोई जानकारी हो, तो वह निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता को अन्दर मियाद 07 दिवस मे मय दस्तावेजी साक्ष्य सहित सम्पर्क करें अन्यथा बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति विधि अनुसार शून्य मानी जावेगी।
पुलकित गर्ग एडवोकेट
Enroll. No. R/934/1995 MZ-4, अलंकार टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016 मो. 09828084002

नम्बर मिलाइए 8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

पेट्रोल पंपों पर विधिक मापविज्ञान विभाग की बड़ी कार्रवाई

जयपुर। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा एवं पेट्रोल-डीजल की सही मात्रा सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा प्रदेशभर में पेट्रोल पंपों का सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को प्रदेशभर में कुल 62 पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कम मात्रा में पेट्रोल-डीजल देने एवं बिना वैध सत्यापन के पेट्रोल पंप संचालित करने के मामले सामने आए। जयपुर जिले के दूदू स्थित कृष्ण पेट्रोलियम पर निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितता सामने आई। जांच में पाया गया कि पेट्रोल पंप के माप-वितरण उपकरणों का अंतिम सत्यापन 12.09.2023 तक ही वैध था, इसके बावजूद पेट्रोल पंप का संचालन लगभग तीन वर्षों से बिना वैध सत्यापन के किया जा रहा था। इस पर विभागीय टीम ने सख्त कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप के सभी नोजल जब्त कर लिए तथा 10,500 का जुर्माना लगाया।

निरीक्षण के दौरान अन्य जिलों में भी पेट्रोल-डीजल की निर्धारित मात्रा से कम वितरण के मामले सामने आए। दौसा में सूर्या फिलिंग स्टेशन, गढ़ दौसापर प्रति 5 लीटर में 30 मिलीलीटर पेट्रोल/डीजल कम दिया जाना पाया गया। एक नोजल जब्त कर 10,500 का जुर्माना लगाया गया। प्रदेशभर में 62 निरीक्षण, 11 नोजल सीज, 85,000 का जुर्माना प्रदेशभर में की गई कार्रवाई के दौरान उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से कम पेट्रोल-डीजल दिए जाने के मामलों में कुल